फर्द अहकाम

मूली देवी बनाम चौथमल वगैरह

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

केस संख्या 42/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	31/1/25	पत्रावली आज पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्ष की बहस तथा पत्रावली के अवलोकन के बाद हम मूलवाद के निस्तारण तक दिनांक 10/7/2009 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थायी किया जाना उचित समझते हैं। अतः दिनांक 10/7/2009 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली कैसल सुधार होकर मूलवाद के हम किता रहे।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)